प्रकरण संख्या 81/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज उदयाराम बनाम दुर्गा/ विश्वनाथ
30.7.24	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। आज हम अन्य राजकार्य में व्यस्त रहने से आदेश नही लिखवा सके पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी.पी.सी. 1908 दिनांक 14.08.2024 को पेश हो। जिला कलेक्टर टोंक
14.8.24	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 5 ने बहस मे निवेदन किया कि आवेदक ने अपने आवेदन मे अप्रार्थी संख्या 1 ता. 5 के पिता को साबिक खसरा नम्बर 429 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा मे दिनांक 03.06.1976 को हुये आवंटन को निरस्त कराने के लिये जो आधार लिये है उन्ही आधारो पर आवेदक के पूर्वज माधो निवासी विजयगढ ने अप्रार्थीगण के पिता के विरूद्व दिनांक 20.07.1976 को न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.1986 के द्वारा माधो के आवेदन को खारिज कर अप्रार्थीगण के पिता लादू को दिनांक 03.06.1976 को हुये आवंटन को यथावत रखा गया है। सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत जब किसी वाद या विवाधक को किसी न्यायालय द्वारा एक बार निस्तारित कर दिया जाता है तो उसी वाद या विवाधक को या आधार को लेकर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि या उनके उत्तराधिकारी दुबारा न्यायालय मे कोई कार्यवाही नही कर सकते तथा ना ही न्यायालय ऐसे आवेदन या विवाधक को सुनेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी.पी.सी. 1908 को स्वीकार कर दिनांक 03.06.1976 को हुये आवंटन को यथावत रखा जाना न्याय संगत है। अभिभाषक प्रार्थी ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पर धारा 11 सी.पी.सी. लागू नही होती है। धारा 11 सी.पी.सी. दावा पर लागू होती है। गलत प्रकार से हुये आवंटन को कभी भी निरस्त करवाने हेतु कोई भी व्यक्ति समक्ष न्यायालय मे प्रार्थना पत्र कभी भी प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी.पी.सी. 1908 को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है। हमने अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली मे संलग्न आवंटन पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता. 5 के पिता व पति लादू पुत्र चतुर्भुज महाजन सा. बिणजारी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 03.06.1976 को सीलीगं मे अवाप्त आराजी खसरा नम्बर 429 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बिणजारी मे आवंटन किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 23.04.1986 की प्रति का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि दिनांक 03.06.1976 को

P.T.O

जिला कलेक्टर टोंक

हुये आवंटन को प्रार्थी के पूर्वज माधो द्वारा दिनांक 20.07.1976 को न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 23.04.1986 को निर्णय पारित किया गया हैं जिसमें "उक्त भूमि दिनांक 01.10.1966 को तत्कालीन खातेदार कल्याण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीदी थी। भू–आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 03.06.1976 को सीलिंग मे अवाप्त होने के नाते अप्रार्थी (लादू) को कीमतन राशि जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 22.06.1976 का सुपुर्दगीनामा 2 मोतबीरान व्यक्तियो की उपस्थित मे पटवारी हल्का द्वारा दिया गया है। आवंटन होने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 14.10.1976 के द्वारा जमाबंदी मे नोट श्री लादू के नाम अंकित किया जा चुका है। अतः अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है" का उल्लेख किया है।

न्यायालय हाजा मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 मे भी आवंटन निरस्त करवाने हेतु विक्रय पत्र को ही आधार मानकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में भी उल्लेख हैं कि "Res judicata. -No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court"

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 मे वर्णित आराजी का न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 23.04.1986 को निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रार्थी को न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.1986 के विरूद्व समक्ष न्यायालय मे चारा–जोही करना चाहिये था,परन्तु प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 न्यायालय हाजा मे पेश किया गया है,जो Res judicata की परिभाषा मे आता है।

फलतः अप्रार्थी संख्या 1 ता. 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी.पी.सी. 1908 स्वीकार कर प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 व प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

जिला कलेक्टर
टोंक